01

२२/११ सम्मुख आप उपस्थित हो प्रा.पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। पत्रा. में निर्णय अन्तर्गत लिखित जाकर स्कूल न्यायालय में उपाय जाकर आ.पत्र किया। पत्रा. नम्बर से [illegible] हो कर अदालत [illegible] दाखिल दफ्तर हो जावे।

खण्ड अधिकारी
[illegible] (खचखर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह लिग्री आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
170 / 2014	22 / 07 / 2014	22.1.16

उनवान

1. विक्रम पुत्र शेरसिंह जाति अहीर साकिन टांकाहेडी तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर (राज0)

:– वादी / प्रार्थी

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र जसवन्तसिंह
2. पवन पुत्र जसवन्तसिंह
3. वीरसिंह पुत्र रामजीलील जाति अहीरान निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
4. बडोदा राज0 क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बीबीरानी जरिये शाख प्रबन्धक बीबीरानी तहसील कोटकासिम जिला अल वर राज0।
5. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0।
6. उपपंजीयक कोटकासिम जिला अलवर राज0।
7. रामौतार पुत्र मंगल जाति अहीर निवासी ईकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

:– प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 टी0ए0 1955

उपस्थित :–

1. श्री राजेश यादव अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री रामफल यादव अभिभाषक, अप्रार्थीगण

निर्णय

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1, 2 दफा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय में पेश किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी हाल ख0 नं0 7/0.2800 हैक्ट0 वाके ग्राम इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 3 की सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है सामलात में ही काबिज व दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्डस में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी में से 11/60 भाग हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 पवन का खातेदारी कब्जा काश्त में से वादी ने 11/80 भाग जरिये बयनामा दिनांक 18.12.2013 को खरीद किया है और वक्त खरीद से ही मिन प्रार्थी अपने खरीद शुदा रकबे पर काबिज काश्त है। खरीदशुदा आराजी का मिन प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्डस में अमल दरामद हो रहा है। अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थी के सामलाती हिस्सों कें कब्जा काश्त में मजामहत व मदाखलत पैदा करते रहते हैं। दिनांक 18.07.2014 को विवादित आराजी का तकासमा कर अलग खाता कायम करवाने हेतु मिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगणों से कहा तो वो साफ इंकार हो गये और मिन प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि हम विवादित आराजी को बिना बंटाये ही दीगर लोंगो को बेंचान करेगें और तुझे तेरे हक हिस्से की आराजी से जबरन बेंदखल कर अपना कब्जा करेगे, निर्माण कार्य करेगें। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारों की आराजी से वंचित होना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 7/0.2800 हैक्ट0 वाके ग्राम इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर का जब तक रिकार्डेड तकासमा ना हो जाये तब तक अप्रार्थीगण दीगर जगह रहन बय हिबालीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें, ना जबरन बेदखल करे, ना ही कब्जा करें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं. 6 विवादित आराजी की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया कि प्रार्थी ने झूंठे तथ्य दर्ज कर झूंठा वादपत्र, शपथपत्र पेश किया है। जिनसे प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी में से एक प्लाट दिनांक 18.10.2013 को खरीद किया है जो पवन पुत्र जसवन्तसिंह ने अपने हिस्से में से 11/80 भाग का बेचान किया है। बयनामा के प्रथम पेज पर स्वंय प्रार्थी का फोटो प्लाट में दर्शाया गया है। मगर इस प्लाट की लम्बाई चौडाई नहीं लिखी गई है। नजरी नक्शा में नाम लिखा है जो कीमत फलाने के लिखना बताया है। एक अन्य वाद 66/14 जितेन्द्र बनाम विक्रम वगैरा में मौका कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 02.06.2014 के अनुसार विवादित आराजी पर 1 माह पूर्व कपास बिजाई व उत्तरी दिशा में लगभग 0.05 हैक्टर रकबे पर पुनः जुताई कर ईट दो ट्राली व 1 ट्राली पत्थर तथा 1 ट्राली बजरी डालने का उल्लेख है। जो प्रार्थी का था। प्रार्थी ने इस आराजी ख0 नं0 7/0.28 हैक्ट0 में से पवन पुत्र जसवन्तसिंह के हिस्से में से 11/80 भाग खरीद किया और मौके पर इसी के मुताबिक पुख्ता चार दीवारी प्रार्थी द्वारा की जा चुकी है। प्रार्थी ने एक मकान भी बनाया है और इस प्लाट का निकास सडक पर है। इससे साफ जाहिर है और किसी भी रुप में यह भूखण्ड सामलाती नही है और नाही इस पर काश्त है। इसी प्लाट की तरफ दक्षिण में एक आवासीय प्लाट पवन पुत्र जसवन्तसिंह द्वारा और बेचान किया गया है। जो रामौतार पुत्र मंगल जाति अहीर ग्राम इकारोटिया ने खरीद किया और उसने भी पुख्ता चारदीवारी कर रखी है। जिसका रास्ता मुख्य सडक पर निकलता है। शेष रकबा तरफ दक्षिण के कपास की फसल काश्त की हुई है। इसलिये प्रार्थी द्वारा किया गया कथन मिथ्या वो मनगढन्त है, झूंठा है। मात्र रिकार्ड के आधार पर झूंठा वादपत्र पेश किया है। जो कि काबिल खारिज है। जब प्रार्थी खरीदशुदा 11/80 भाग पर ही काबिज है तो तकासमा का वाद शेष नही रह जाता है। प्रार्थी ने इस भूखण्ड पर कोई काश्त नहीं की है। बल्कि प्रार्थी ने इस भूखण्ड पर पुख्ता चारदीवारी कर रखी है। इसलिये प्रार्थी को कोई प्राइमाफेसाइ केस आयद व साबित नहीं है। ना ही नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी को होती है। इसलिये मिन जवाबदारान को प्रार्थी किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 3 की सामलाती खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजी है सामलात में ही काबिज व दखिल हाकर काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्व रिकार्डस में अमल दरामद हो रहा है। विवादित आराजी में अप्रार्थी सं. 2 पवन की खातेदारी कब्जा काश्त 11/60 हिस्सा में से वादी ने 11/80 भाग जरिये बयनामा दिनांक 18.12.2013 को खरीद किया है मिन प्रार्थी अपने खरीदशुदा रकबे पर काबिज काश्त है। खरीद शुदा आराजी का मिन प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्डस मं अमल दरामद हो रहा है। अप्रार्थीगण आये रोज मिन प्रार्थी के सामलाती हिस्सों कें कब्जा काश्त में मजामहत व मदाखलत पैदा करते रहते हैं। दिनांक 18.07.2014 को विवादित आराजी का तकासमा से अप्रार्थीगणों साफ इंकार हो गये और मिन धमकियां दी कि वो विवादित आराजी को बिना बंटाये ही दीगर लोंगो को बेंचान करेगें जबरन बेंदखल कर अपना निर्माण करेगें। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपनी खातेदारी अधिकारों की आराजी से वंचित होना पडेगा। अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रुपयों में नही आंकी जा सकेगी। इसलिये मिन प्रार्थी, अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। सुविधाका सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 7/0.2800 हैक्ट0 वाके ग्राम इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर का जब तक रिकार्डेड तकासमा ना हो जाये तब तक अप्रार्थीगण दीगर जगह रहन बय हिबालीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य करें, ना जबरन बेदखल करे, ना ही कब्जा करें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे, ना ही अप्रार्थी सं. 6 विवादित आराजी की बाबत किसी भी प्रकार के दस्तावेजात पंजिबद्ध व तस्दीक करे।

अप्रार्थी/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ने झूंठे तथ्य दर्ज कर झूंठा वादपत्र,शपथपत्र

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पेश किया है जिनसे प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के पवन पुत्र जसवन्तसिंह के हिस्से में से 11/80 भाग का प्लाट दिनांक 18.10.2013 को खरीद किया है व बयनामा के प्रथम पेज पर स्वंय प्रार्थी का फोटो प्लाट में दर्शाया गया है। मगर इस प्लाट की लम्बाई चौडाई नहीं लिखी गई है। नजरी नक्शा में नाम लिखा है जो कीमत फलाने के लिखना बताया है। एक अन्य वाद 66/14 जितेन्द्र बनाम विक्रम वगैरा कीं मौका कमिश्नर की रिपोर्ट दिनांक 02.06.2014 में विवादित आराजी पर 1 माह पूर्व कपास बिजाई व उत्तरी दिशा में लगभग 0.05 हैक्टर रकबे पर पुनः जुताई कर ईंट दो ट्राली व 1 ट्राली पत्थर तथा 1 ट्राली बजरी डालने का उल्लेख है। जो प्रार्थी का था। प्रार्थी ने इस आराजी के मौके पर पुख्ता चार दीवारी की जा चुकी है। व एक मकान भी बनाया है प्लाट का निकास सडक पर है। इससे साफ जाहिर है कि किसी भी रुप में यह भूखण्ड सामलाती नही है और नाही इस पर काश्त है। इसी प्लाट की तरफ दक्षिण में एक आवासीय प्लाट रामौतार पुत्र मंगल जाति अहीर ग्राम इकारोटिया ने खरीद किया और उसने भी पुख्ता चारदीवारी कर रखी है। जिसका रास्ता मुख्य सडक पर निकलता है। शेष रकबा तरफ दक्षिण के कपास की फसल काश्त की हुई है। इसलिये प्रार्थी द्वारा किया गया कथन मिथ्या वो मनगढन्त है, झूंठा है। मात्र रिकार्ड के आधार पर झूंठा वादपत्र पेश किया है। जब प्रार्थी खरीदशुदा 11/80 भाग पर ही काबिज है तो तकासमा का वाद शेष नही रह जाता है। प्रार्थी ने इस भूखण्ड पर कोई काश्त नहीं की है। बल्कि प्रार्थी ने इस भूखण्ड पर पुख्ता चारदीवारी कर रखी है। प्रार्थी को कोई प्राइमाफेसाइ केस आयद व साबित नहीं है। ना ही नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी को है। इसलिये मिन जवाबदारान को प्रार्थी किसी भी सूरत में जर्ये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी फर02004 पेज 65, आरआरडी 14.11.200 पेज 762 पेश किये।

मेरे द्वारा उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भलि–भाँति अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने विवादित आराजी हाल ख0 नं0 7/0.2800 हैक्ट0 वाके ग्राम इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर में से 11/60 हिस्सा में से 1/80 भाग हिस्सा अप्रार्थी 2 से

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

जर्ये बयनाम क्रय किया गया है। बयनामा के अवलोकन से पाया कि विक्रेता अप्रार्थी 2 ने प्रार्थी को विवादित आराजी के 11/80 हिस्से पर कब्जा सम्भलाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी क्रेता वक्त खरीद से ही 11/80 हिस्से पर काबिज है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल भी हो रहा है। प्रार्थी कार कब्जा है। इस बाबत अप्रार्थीगण स्वंय अपने जवाब में भी स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रकार प्रार्थी का पृथम दृष्टया मामला साबित है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी का तकासमा कर अलग खाता व लगान कायम कराना चाहता है। अन्य खातेदारों ने विवदित भूमि का तकासमा कराये बिना खुर्द बुर्द किया तो प्रकरण में लिटिगेशन बढेगा। तो अपूरणीय क्षति होगी व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी को होगा। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण को हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। जो न्यायोचित प्रतीत है। अप्रार्थीगण के न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 39 नियम 1, 2 दफा 151 जाप्ता दीवानी बाबत विवादित आराजी हाल ख0 नं0 ख0 नं0 7/0.2800 हैक्ट0 वाके ग्राम इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल ख0 नं0 7/0.2800 हैक्ट0 वाके ग्राम इकरोटिया तहसील कोटकासिम जिला अलवर का जब तक रिकार्डेड तकासमा ना हो जाये तब तक मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.1.16 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिम्बी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner